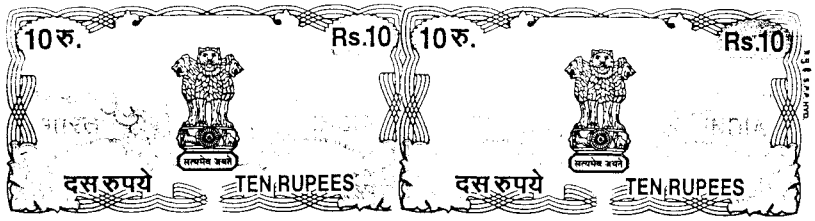

10 रु. Rs.10 10 रु. Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

<u>समक्ष अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.</u>

प्रकरण कमांक——2014

R-2141-PBR/14

मेहबूब खा आत्मज स्वर्गीय शकूर खां
आयु लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम
बगरोदा तहसील हुजूर जिला
भोपाल म.प्र. ———— आवेदक / निगरानीकर्ता

<u>विरूद्ध</u>

1. श्रीमति खातूनबी आयु वयस्क पुत्री स्वर्गीय नूर खां पत्नि शेख नूर खां
निवासी—ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.

2. अमीरन बी आयु वयस्क पुत्री स्वर्गीय नूर खां पत्नि अब्दुल खां
निवासी— ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.

जैतूनबी उर्फ जैहनबी पत्नि अब्दुल घीसे खां
(मृतक द्वारा वारीसाना)

3. नबी खां आत्मज स्वर्गीय घीसे खां
निवासी—ग्राम श्यामपुर दौराहा तहसील व जिला सीहोर म.प्र.

श्री राम कुमार रघुवंशी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 9-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
9-7-14

4. मकबूल खां आयुवयस्क

5. मकसूद खां आयुवयस्क
दोनो पुत्रगण स्वर्गीय सकूर खां
निवासी—ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ———— अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959।</u>

आवेदक की ओर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत—2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा बटवारा प्रकरण कमांक 40 / अ —27 / 2012—13 पक्षकार खातूनबी व अन्य विरूद्ध मेहबूब खां व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 28.06.2014 एवं दिनांक 05.07.2014 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यो एवं आधारो पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है:—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R2141–पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–6–2014 एवं 5–7–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–6–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर पटवारी से वारिसानों की जानकारी प्राप्त होने पर वारिसानों को पक्षकार बनाने हेतु तलवाना पेश करने के निर्देश दिये हैं, साथ ही पटवारी को फर्द बटान प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये हैं । इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 5–7–2014 में हल्का पटवारी से फर्द रिपोर्ट लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि पूर्व में दिनांक 28–6–2014 की पेशी पर वारिसानों को पक्षकार बनाने हेतु तलवाना पेश किए जाने के आदेश दिये गये थे, परन्तु दिनांक 5–7–2014 की पेशी पर उक्त निर्देश विलोपित कर दिये गये हैं, क्योंकि यदि बिना वारिसानों को पक्षकार बनाये फर्द बटवारा प्रस्तुत होता है तो उक्त फर्द बटवारे पर आपत्ति करने का अवसर आवेदक को प्राप्त है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	